



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्या: 37 / 15

निर्णय दिनांक 25.06.2018

1. अचाराम पुत्र पुरखाराम जाति ब्राहमण निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. तारादेवी पुत्री भीखाराम पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु।
3. उप पंजीयक श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27-01-2015
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

उपस्थित:-

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 27-01-2015 जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 608 तादादी 48 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 तादादी 47 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 तादादी 20 बीघा 9 बिस्वा कुल तादादी 116 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का ट्यूबवैल बनाया हुआ है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोजेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है क्योंकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता भीखाराम ने वादगत् खेतों के संबंध में अपनी खातेदारी भूमि का परित्याग जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र के माध्यम से अपीलांट के पक्ष में किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अर्थात् भीखाराम की पुत्री तारादेवी का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। उक्त परित्याग के बाद अपीलांट के नाम से वादगत् भूमि बतौर खातेदार रिकार्ड दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट द्वारा ट्यूबवैल बनाया हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोजेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडियेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता भीखाराम ने अपने जीवनकाल में ही उनके हिस्से की तमाम भूमि जरिये रजिस्टर्ड त्यागपत्र अपीलांट के नाम से कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में

रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना-देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा अब शेष रहा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समन रजिस्टर्ड जारी किये गये किन्तु वे बावजूद सूचना वे उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 16-02-2018 को उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 608 तादादी 48 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 तादादी 47 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 तादादी 20 बीघा 9 बिस्वा कुल तादादी 116 बीघा 11 बिस्वा में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि अर्थात 1/4 हिस्से की हद तक वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति

कायम रखे जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांत का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांत की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता भीखारा द्वारा अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र अपीलांत के नाम से किया गया था।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादगत् भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा व अपीलांत के पिता पुरखाराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज चली आ रही थी। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पत्ति है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट के हक व हिस्से अर्थात् वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट के 1/4 हिस्से के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने जाने आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांत का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होने से वादगत् भूमि पर अपना 1/4 हिस्सा होना बताया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पत्ति है जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के

दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पुरखाराम के नाम दर्ज रही है। अपीलांट का कथन कि उनके द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से की भूमि को अपीलांट के हक में जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र के माध्यम से अपीलांट के हक में परित्याग किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में भीखाराम की पुत्री का अर्थात् रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का वादगत् से कोई लेना-देना नहीं है ना ही उसका वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा बनता है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि पर रेस्पोजेन्ट के हक व हिस्से की भूमि 1/4 हिस्से के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये हैं। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोजेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड के आदेश प्रदान किये गये हैं, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ का आदेश दिनांक 27-01-2015 बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ०राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

